तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.2022	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो, शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं वकील सायल को सुना गया। प्रथम दृष्टया केस एंव सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व गैरसालयान दिनांक 23.11..2022 तक के लिए जारी किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नं0 497 स्थित ग्राम मरैना तहसील राजाखेडा सायला के कब्जा काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें, रहन, वय, नहीं करें, रिकार्ड व मौके यथा–स्थिति बनायें रखें। इस संबंध में उन्हे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 23.11..2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर उज्र पेश करे। तहसीलदार राजाखेडा को वास्ते तामील परवाना जारी हो। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23.11...2022 को पेश हो।	
12/11/22	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच में पेश हुई। पत्रावली में मूल दावा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से खारिज कर दिया है अतः मूल दावा खारिज होने की रोशनी में यह प्रार्थना पत्र 212 RTA भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत	नि० प्रार्थिया भगवानदेई